UPMT010015962026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–743/2026

महेश बनाम उ.प्र.राज्य

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त **महेश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 85/2026 धारा–109 (1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) व धारा 25/30 आयुध अधिनियम, थाना– कोसीकलां, जिला– मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी देशराज उर्फ भूरा निवासी गिर्राज महाराज कॉलोनी, शेरगढ रोड़ गोपालबाग का निवासी है। घटना दिनांक – 16/02/2026 दोपहर 12.00 बजे उसके घर महेश पुत्र बिजेन्द्र ने अपने भाई की लाइसेन्सी रायफल से उसके घर पर उसे मारने की नीयत से फायर करने की कोशिश की और उसके घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। प्रार्थी ने 112 नंबर पर पुलिस से मदद मांगी तब जाकर उसकी जान बची। पुलिस के सामने भी वह रायफल तानकर खड़ा था। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 85/2026 अंतर्गत धारा–109 (1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) व धारा 25/30 आयुध अधिनियम) अभियुक्त महेश के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।
3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस केस में झूठा फँसाया गया है। मुकदमा वादी प्रार्थी/अभियुक्त का परिजन है तथा बंटवारे को लेकर रंजिश मानता है। प्रार्थी/अभियुक्त की नाली के पानी को निकलने नहीं दे रहा था, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त ने पानी निकालने के लिये कहा तो चौकी की पुलिस आ गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई लाइसेन्सी हथियार नहीं निकाला और न ही कोई फायर किया, बल्कि घर में पुलिस से पानी निकलने देने के लिये कह रहे थे, इसी दौरान वादी पुलिस को अपने घर ले गया और घर से वापस आते ही प्रार्थी/अभियुक्त के घर में घुस गये तथा उसकी लाइसेन्सी बन्दूक को घर से लेकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाकर चालान कर दिया। जबकि घटना का कोई भी साक्षी नहीं है। कॉलोनी में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरी कॉलोनी का भण्डारा चल रहा था, जिसमें करीब तीन हजार लोगों की भीड़ थी और समाज के लोग व प्रार्थी/अभियुक्त उसमें भाग ले रहे थे। भण्डारा चल रहा था इसलिए वहाँ रायफल निकालने का कोई मतलब नहीं था और न ही कॉलोनी के किसी व्यक्ति को गवाह बनाया गया है तथा कोई फायर भी नहीं किया गया है, फिर भी बिना फायर के धारा 109(1) बी०एन०एस० लगा दी गयी है। यह प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है और जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर लाइसेन्सी रायफल से वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से फायर करने की कोशिश करने का आरोप आक्षेपित है।
7. अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि मुकदमा वादी आवेदक/अभियुक्त का परिजन है तथा बंटवारे को लेकर रंजिश मानता है, जिस कारण उसने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसने कोई लाइसेन्सी हथियार नहीं निकाला और न ही कोई फायर किया
8. स्वीकृत रूप से अभियुक्त के द्वारा कोई फायर नहीं किया गया है तथा न ही किसी को कोई आग्नेयास्त्र की चोट आई है। अभियुक्त कई दिनांक से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

   तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **महेश** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

   क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
   ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
   ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
   घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
   ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा
ID– UP 6351